षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-14 — बुधवार, दिनांक-16 मार्च, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.37 बजे अप० तक ।

[1] अन्य चर्चा :-

"सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता विरोधी दल श्री प्रेम कुमार द्वारा राज्य में पेयजल संकट के संबंध में बंद चापाकल का मुद्दा उठाया गया जिसपर माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव एवं माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार गंभीर से गंभीर मुद्दों पर उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार है ।"

"आसन द्वारा नेता विरोधी दल से आग्रह किया गया कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के तहत, गंभीर मुद्दों पर विमर्श के लिए जो प्रक्रिया एवं नियम है उसके तहत आप सूचना दीजिए उस पर विचार किया जायेगा ।"

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 23 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(iii) 192 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्री मिथिलेश तिवारी से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री अशोक कुमार सिंह — (ii) श्री मिथिलेश तिवारी

(iii) श्री सुदामा प्रसाद — (iv) श्री महबूब आलम

(v) श्री तारकिशोर प्रसाद (vi) श्री संजय सरावगी
(vii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (viii) श्री विजय कुमार खेमका
(ix) श्री विनय बिहारी (x) श्रीमती भागीरथी देवी
(xi) श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा (xii) श्री विजय कुमार सिन्हा
(xiii) श्री समीर कुमार महासेठ (xiv) श्री ललन पासवान
(xv) श्री विनोद प्रसाद यादव (xvi) श्री (डॉ०) राजेश कुमार
(xvii) श्री सत्यदेव राम (xviii) श्री वशिष्ठ सिंह
(xix) श्री अरूण कुमार सिन्हा

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य सभासदों का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित तथा दिनांक 16 मार्च, 2016 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर बिन्द एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग श्री अशोक कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] प्रस्ताव :-

माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार ने प्रस्ताव किया कि बिहार विधान सभा की नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन के संशोधनों को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार किया जाय जिसे सदन द्वारा स्वीकृत किया गया ।

[7] याचिकाओं का उपस्थापन :-

प्रभारी सचिव द्वारा कुल 53 याचिकाओं को सदन में उपस्थापित किया गया ।

तदोपरान्त सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 2.45 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[8] वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों [(परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री चन्द्रिका राय द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा ने कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया एवं अपना पक्ष रखा ।

सदन में प्रस्तुत अनुदान की माँग पर वाद विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री विजय कुमार सिन्हा (ii) श्री मो० नवाज आलम

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया ।)

इस दौरान माननीय सदस्यों के आपस में नोंक-झोंक के कारण विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वेल में चले आए । तत्पश्चात् आसन ने घोषणा की गयी कि सभा की बैठक 3.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित की जाती है ।

स्थगनोपरान्त

(03.00 बजे अप० से 3.02 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया ।)

माननीय अध्यासी सदस्य के आसन ग्रहण करते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण पूर्व के

विषय पर शोर-गुल करते हुए वेल में चले आए । आसन से शांत रहने का बार-बार आग्रह करने पर भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की बैठक 3.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी ।

<u>स्थगनोपरान्त</u>

(03.30 बजे अप० से 5.02 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

आसन से कहा गया कि सदन में कुछ अप्रिय बातें हुई हैं । सदन साक्षी है । टोका-टोकी होगी तो स्थिति अप्रिय होती है, जो खेदजनक है । भाषण स्वतंत्रता का अर्थ आत्मनियंत्रण है । सदन की उच्च परम्पराओं के निर्वहन के लिए बगैर आसन की अनुमति के न बोलें ।

वाद-विवाद जारी

(iii) श्री सत्यदेव सिंह
(iv) श्री आबिदुर रहमान
(v) श्री सी०एन० गुप्ता
(vi) श्री उपेन्द्र पासवान
(vii) श्री लक्ष्मेश्वर राय
(viii) श्री राजीव नंदन
(ix) श्रीमती प्रेमा चौधरी
(x) श्री शकील अहमद खाँ
(xi) श्री ललन पासवान
(xii) श्री महबूब आलम

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री चंद्रिका राय द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

"सरकार के उत्तर के दौरान असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।"

तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[9] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-25 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-16 मार्च, 2016

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।